



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2571]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2018/आषाढ़ 15, 1940

No. 2571]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2018/ASHADHA 15, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2018

का.आ. 3325(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनके द्वारा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(30)/2017-पीएल/एनजीटी]

अरुण कुमार मेहता, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2018

S.O. 3325(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 6 and section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government in consultation with the Chief Justice of India hereby appoints Justice Shri Adarsh Kumar Goel, Judge of the Supreme Court of India as the Chairperson of the National Green Tribunal with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette for a period of five years or till he attains the age of seventy years, whichever is earlier.

[F. No. 17(30)/2017-PL/NGT]

ARUN KUMAR MEHTA, Addl. Secy.